


कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक: 3(2)प्राशि/2016-पार्ट जयपुर, दिनांक 26.10.2016 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 26.10.2016 के क्रम संख्या-12 के कॉलम संख्या-06 (कार्गिक का नाम-जिनकी सेवाएं माध्यमिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द की जाती हैं) में अंकित श्री महेन्द्र सिंह खीचड़ के संबंध में जारी किये गये आदेश को श्री महेन्द्र सिंह खीचड़ की हद तक प्रत्याहारित किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।


निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक:शिविरा/प्रारं/संस्था-राप/16203/(2)/एबीईईओ पदस्थापन/2014-16/ दिनांक: 07-06-2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय (कार्यालय हाजा)।
5. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
6. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
8. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग (कार्यालय हाजा) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग (कार्यालय हाजा) को माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर द्वारा अपील क्रमांक: 683/2017 श्री महेन्द्र सिंह खीचड़ बनाम राजस्थान राज्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13.04.2017 के क्रम में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. संबंधित कार्गिक
12. रक्षित पत्रावली।


निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।